रजिस्ट्री सं० डी० एल० (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 9] नई दिल्ली, मार्च 15—मार्च 21, 2009, शनिवार/फाल्गुन 24—फाल्गुन 30, 1930

No. 9] NEW DELHI, MARCH 15—MARCH 21, 2009, SATURDAY/PHALGUNA 24—PHALGUNA 30, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authority (other than the Administrations of Union Territories)

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2009

सा.का.नि. 24.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़, सेवा (समूह 'ख') भर्ती नियम, 1979 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़ में प्रधानाचार्य के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्रम और रोजगार मंत्रालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़ (प्रधानाचार्य) भर्ती नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति :**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. प्रधानाचार्य	01(2009)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित ।	10,025-275-10,300-340-12000-375-13,500-400-15,100 रु.	चयन	लागू नहीं होता	40 वर्ष से अधिक नहीं । **टिप्पण-1 :** केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण-2 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विश्वविद्यालय से यांत्रिक/विद्युत/इलैक्ट्रानिक्स और संचार इंजीनियरी/प्रौद्यागिकी में डिग्री या समतुल्य । (2) उद्योग/प्रशिक्षण संस्थान में पाँच वर्ष व्यावहारिक अनुभव । **टिप्पण 1** – अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2 :** अनुभव सम्बन्धी अर्हता(अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : स्तम्भ (12) में उपदर्शित सीमा तक ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों तथा प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रोन्नति :** 6400–10,640 रु. के वेतनमान में ऐसा ग्रुप अनुदेशक, जिसके पास यांत्रिक इंजीनियरी में डिप्लोमा है और जिसने उस श्रेणी में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष सेवा की है । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध

	(12)
	में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, और (ख) जिनके पास स्तम्भ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं । **टिप्पण 1** : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) : 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. गृह सचिव, चंडीगढ़ —सदस्य 3. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, चंडीगढ़ —सदस्य **समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) :** 1. गृह सचिव, चंडीगढ़ —अध्यक्ष 2. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, चंडीगढ़ —सदस्य 3. प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पालिटेकनिक, चंडीगढ़ —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है

[फा. सं. डीजीईटी-1/(09)/2007-टी.सी.(डेस्क)]

आर. के. तिक्कू, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Directorate General of Employment and Training)

New Delhi, the 13th March, 2009

G.S.R. 24.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Industrial Training Institute, Chandigarh, Service (Group B) Recruitment Rules, 1979, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Principal, in the Industrial Training Institute, Chandigarh, namely:

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Labour and Employment Industrial Training Institute, Chandigarh (Principal) Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number, classification and scales of pay.**—The number of post, its classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is possible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other backward class, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection or Non-selection post	Whether Benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Principal	*01 *(2009) Subject to variation dependent on workload	General Civil Services Group A Gazetted	Rs. 10,025-275-10,300-340-12,000-375-13,500-400-15,100	Selection	N.A.	Not exceeding 40 years Note 1 : Relaxable for government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

919 GI/09-2

			(7)
			Note 2 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India but not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdeep.
Educational and other Qualifications required for direct recuits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)	(11)
Essential : (1) A Degree in Mechanical/ Electrical/Electronics and Communication Engineering/ Technology from a recognised University or equivalent. (2) Five years practical experience in Industry/Training Institute. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification (s) reagarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service	Age : No Educational qualification to the extent indicated in-Column (12)	One year for direct recruits and promotees	Promotion, failing which by deputation failing both by direct recruitment

(8)			
Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.			
In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)		(14)
Promotion : Group Instructor possessing deploma in Mechanical Engineering in the scale of pay of Rs. 6,400—10640, with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis. **Note :** Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation :** Officers under the Central or State Government/Union Territories— (a) holding analogous post on regular basis in the parent Cadre/Department; and (b) Posessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8. **Note 1 :** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	**Group "A"** **Departmenat Promotion Committee (for considering promotion) :—** 1. Chairman or a Member of Union Public Service Commission 2. Home Secretary, Chandigarh 3. Director, Technical Education, Chandigarh **Group "A"** **Departmental Promotion Committee (for confirmation)** 1. Home Secretary, Chandigarh 2. Director, Technical Education, Chandigarh 3. Principal, Government Polytechnic for Women, Chandigarh	—Chairman —Member —Member —Chairman —Member —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

(12)	
Note 2 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	
Note 3 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.	

[F. No. DGET-1(09)/2007-TC (Desk)]

R. K. TIKU, Desk Officer

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2009

सा.का.नि. 25.—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा संरक्षण (जांच करने की रीति) नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**–(1) इन नियमों में जब संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,–

(क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 अभिप्रेत है ;

(ख) "न्याय निर्णायक अधिकारी" से धारा 27 के अधीन नियुक्त न्याय निर्णायक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(2) इन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किंतु उक्त अधिनियमों में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में हैं ।

3. **किसी न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा जांच करने की रीति**–(1) जब राज्य आयोग किसी न्याय निर्णायक अधिकारी को नियुक्त करता है तो सम्बद्ध व्यक्ति को भी नियुक्त आदेश की प्रति उपलब्ध कराएगा ।

(2) न्याय निर्णायक अधिकारी जांच करने में, सम्बद्ध व्यक्ति को धारा 26 के अधीन अतिक्रमणों की विशिष्टियों के अंतर्विष्ट करते हुए सूचना जारी करेगा, ऐसी सूचना में उसे जारी होने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा, अपेक्षित होगा ।

(3) न्याय निर्णायक अधिकारी, सम्बद्ध व्यक्ति को उसके केस में उपस्थित होने का एक अवसर देगा ।

(4) यदि सम्बद्ध व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन यथापेक्षित न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, उपेक्षा करता है, या इंकार करता है, न्याय निर्णायक अधिकारी ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में, ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् जांच जारी रख सकेगा ।

(5) न्याय निर्णयक अधिकारी जब जांच कर रहा हो, जहां तक सम्भव हो, उसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जो राज्य आयोग अपने शक्तियों के प्रयोग करने और अपने कृत्यों के निर्वहन करने में प्रयोग करता है ।

(6) न्याय निर्णायक अधिकारी उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूचना को जारी करने की तारीख से साठ दिन के भीतर जांच पूरी करेगा ।

(7) जहां जांच साठ दिन की अवधि के भीतर पूरी नहीं हो सकेगी, न्याय निर्णायक अधिकारी कारणों को लेखबद्ध करते हुए राज्य आयोग से साठ दिन की और अवधि के लिए समय का विस्तार मांग सकेगा ।

(8) जांच की समाप्ति पर, न्याय निर्णायक अधिकारी अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और तद्नुसार शास्ति अधिरोपित करेगा ।

[फा. सं. 10/2/08-ईसी]

देवेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 25th February, 2009

G.S.R. 25.—In exercise of the powers conferred by Section 56 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Energy Conservation (Manner of holding inquiry) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001;

(b) "adjudicating officer" means the adjudicating officer appointed under Section 27;

(c) "section" means section of the Act;

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Manner of holding inquiry by an adjudicating officer.—(1) Whenever the State Commission appoints an adjudicating officer, a copy of the appointment order shall be provided to the person concerned.

(2) In holding the inquiry, the adjudicating officer shall, issue a notice containing the particulars of violations under section 26 to the person concerned requiring him to appear before the adjudicating officer within twenty one days from the date of issue of such notice.

(3) The adjudicating officer shall provide an opportunity to the concerned person to present his case.

(4) If the person concerned fails, neglects or refuses to appear before the adjudicating officer as required under sub-rule (2), the adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for so doing.

(5) The adjudicating officer, while holding inquiry, shall follow as far as possible the same procedure as is followed in the proceedings of the State Commission in exercise of its powers and in discharge of its functions.

(6) The adjudicating officer shall complete the inquiry within sixty days from the date of issue of the notice referred to in sub-rule (2).

(7) Where the inquiry may not be completed within the period of sixty days, the adjudicating officer may, after recording reasons in writing, seek extension of time from the State Commission for a further period of sixty days.

(8) On completion of inquiry, the adjudicating officer shall record his findings and impose penalty accordingly.

[F. No. 10/2/08-EC]

DEVENDER SINGH, Jt. Secy.

919 GI/09-3

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.